

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

(संसद के अधिनियम संख्या-25 (2009) के तहत स्थापित, नैक से 'ए' ग्रेड प्राप्त) (Established vide Act No. 25 (2009) of Parliament, Accredited 'A' Grade by NAAC) जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा - 123031 District Mahendergarh, Haryana

No.: CUH/VCS/2024/अधिसूचना/ 12 50

दिनांक: 03.10.2024

अधिसूचना/Notification

विषय: शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विषम सेमेस्टर शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के संबंध में।

Subject: Last Date for submission of odd semester fee for the Academic Session 2024-25 reg.

सभी छात्रों की जानकारी के लिए यह बताया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विषम सेमेस्टर के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के 15 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।

It is for the information of all students that the last date for submission of fee for odd semester for the Academic Session 2024-25 is extended upto 15th October 2024 without late fee.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है। This is issued with the approval of the Competent Authority.

सहायक कुलसचिव/Assistant Registrar

कुलपति सचिवालय/Vice-Chancellor's Secretariat

प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं अन्पालन हेत् अग्रेषितः

Copy forwarded to the following for information and compliance:

- 1. पीठों के संकायाध्यक्ष, ह.के.वि./Deans of all Schools, CUH
- 2. विभागाध्यक्ष/टी.आई.सी., सभी विभाग, ह.के.वि./HoDs/TICs of all Departments, CUH
- 3. वित्त अधिकारी, ह.के.वि./Finance Officer, CUH
- 3. कुलसचिव कार्यालय (कुलसचिव की सूचना हेतु), ह.के.वि./Office of the Registrar, CUH
- 4. समकुलपति सचिवालय (समकुलपति की सूचना हेतु), ह.के.वि./Pro Vice-Chancellor's Secretariat, CUH
- 5. प्रणाली विश्लेषक (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए), ह.के.वि./ System Analyst (for uploading on the University's website), CUH